राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

आयुक्त कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/786 दिनॉक: 12 अक्टूबर, 2012

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/पाली (जोधपुर सम्भाग के लिए)/
दौसा (जयपुर सम्भार्ग के लिए)

विषयः ***"संविदा के आधार पर"*** पूर्णतया अस्थायी तौर पर व्याख्याता की नियुक्ति हेतु।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व संविदा व्याख्याताओं को स्वीकृत रिक्त पदों पर पुनः रखने हेतु दिये गये SBCWP No. 1754/12 एवं सम्बद्ध प्रकरणों में पारित आदेश दिनॉक 25.07.2012 एवं 27.07.2012 की पालना में आपको संलग्न सूची में उल्लिखित महाविद्यालयों में ***"संविदा के आधार पर"*** पूर्णतया अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पहले हो, व्याख्याता नियुक्ति करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

योजना की क्रियान्विति हेतु निर्देश

(1) ***"संविदा के आधार पर"*** पूर्णतया अस्थायी तौर पर (संलग्न परिशिष्ट ***"D"*** में वर्णित व्याख्याताओं के पदों पर) नियुक्ति हेतु प्राचार्य की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई जावे जिसमें एक विषय विशेषज्ञ सदस्य हो।

(2) व्याख्याता पद पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक को ही नियुक्ति प्रदान की जावे। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की प्रति परिशिष्ट ***"A"*** पर उपलब्ध है।

(3) नियुक्त अभ्यर्थी से लिखित में निर्धारित परिशिष्ट ***"B"*** के अनुसार अण्डरटेकिंग ले ली जावे।

(4) उक्त योजना की क्रियान्विति की सूचना परिशिष्ट ***"C"*** के अनुसार इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।

(5) इन व्याख्याताओं का उक्त योजना में होने वाले व्यय का भुगतान संवेतन मद से किया जावें।

(6) उक्त संविदा व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में पारित निर्णयों के अध्ययधीन होगी।

(7) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संविदा कर्मी नियमितिकरण की मांग करने हेतु अधिकृत नहीं होगें।

(सुनील कुमार शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/786 दिनॉक: 12 अक्टूबर, 2012

1. सम्बन्धित प्राचार्य जहां संविदा व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करना है।
2. परिशिष्ट "द" पर अंकित याचिओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित सम्भागीय महाविद्यालय में अपने आवेदन पत्र के साथ समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज पूर्व महाविद्यालय से कार्यमुक्ति के आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर दिये गये निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(एल.एल. बैरवा)
संयुक्त निदेशक

परिशिष्ठ *"A"*

व्याख्याता पद हेतु अर्हताएं

"कला, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य" संकायों हेतु

अभ्यर्थी को NET व SLET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उन्हीं Ph.D. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को NET व SLET उत्तीर्ण करने से छूट देय है जिन्होनें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Minimum standards and procedure for award of Ph.D. Degree), Regulation 2009 की प्रक्रिया के अनुसार Ph.D. उपाधि प्राप्त की हो।

(एल.एल. बैरवा)
संयुक्त निदेशक

अण्डरटेकिंग का प्रारूप

(10 रूपये की नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित (इसका सत्यापन नोटेरी पब्लिक से करवाया जाना है।))

"संविदा के आधार पर" पूर्णतया अस्थायी व्याख्याता के तौर पर नियुक्ति हेतु

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा SBCWP No. 1754/2012 एवं सम्बद्ध प्रकरणों में पारित निर्णय दिनॉक 25.07.12 एवं 27.07.12 की पालना में आज दिनॉक को यह संविदा, राज्य सरकार की ओर से प्राचार्य एवं प्रार्थी श्री/श्रीमती/सुश्री पत्री/पत्नी/पुत्री श्री के मध्य नीचे लिखे गये विवरण एवं शर्तो के अनुसार संविदा के आधार पर, अध्यापन व्यवस्था हेतु निष्पादित किया जाता है।

1. *कार्य* प्रार्थी को प्रतिमाह शिक्षण कार्य एवं अन्य कार्य प्राचार्य के निर्देशन के अनुसार सम्पन्न करना होगा।
2. *अवधि* प्रार्थी की संविदा के आधार पर अध्यापन व्यवस्था, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पूर्वतम हो के लिए होगी।
3. *पारिश्रमिक*
   - 3.1 प्रार्थी को 7950/– प्रतिमाह देय होगा। प्रार्थी को किसी भी प्रकार के अन्य कोई पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते एवं परिलाभ देय नहीं होंगें।
   - 3.2 माह के आंशिक समय की नियुक्ति की दशा में प्रार्थी को भुगतान माह की अवधि 30 दिन मानते हुए किया जायेगा।
4. *अध्यापन व्यवस्था की समाप्ति*
   - 4.1 प्रार्थी की संविदा के आधार पर व्यवस्था, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/ प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पूर्वतम हो के लिए होगी।
   - 4.2 संविदा के आधार पर नियुक्ति किये गये अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर उसकी नियुक्ति प्राचार्य द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
   - 4.3 यदि प्रार्थी द्वारा प्रेषित कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य पाई गई तो संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
   - 4.4 अभ्यर्थी को NET व SLET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उन्हीं Ph.D. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को NET व SLET उत्तीर्ण करने से छूट देय है जिन्होंनें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Minimum standards and procedure for award of Ph.D. Degree), Regulation 2009 की प्रक्रिया के अनुसार Ph.D. उपाधि प्राप्त की हो।
   - 4.5 मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमितिकरण की मांग नहीं करूगां।

प्रार्थी द्वारा यह संविदा स्वस्थ चित एवं स्वतंत्र इच्छा एवं बिना किसी दबाव व पूर्ण होश हवाश में बिना नशे–पते के रहते हुए सम्पादित की गई है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर प्रार्थी का नाम व पता	प्राचार्य के हस्ताक्षर प्राचार्य का नाम व पता
दिनॉक: स्थान:	दिनॉक: स्थान:
प्रार्थी के प्रथम गवाह के हस्ताक्षर प्रथम गवाह का नाम व पर्ता	प्राचार्य के प्रथम गवाह के हस्ताक्षर प्राचार्य के प्रथम गवाह का नाम व पर्ता
दिनॉक: स्थान:	दिनॉक: स्थान:
प्रार्थी के द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर द्वितीय गवाह का नाम व पर्ता	प्राचार्य के द्वितीय गवाह के हस्ताक्षर प्राचार्य के द्वितीय गवाह का नाम व पर्ता
दिनॉक: स्थान:	दिनॉक: स्थान:

परिशिष्ठ "C"

प्राचार्य द्वारा "संविदा के आधार पर" नियुक्ति हेतु आदेश का प्रारूप

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,

क्रमांक दिनॉक

कार्यालय आदेश

"संविदा के आधार पर" अध्यापन व्यवस्था

(विषय का नाम (जिसके लिए नियुक्ति दी गई है)

श्री/श्रीमती/सुश्री ———————— पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ———————— को 7950/– (अंके सात हजार नो सो पचास रुपये मात्र) प्रतिमाह पर राजकीय महाविद्यालय, ———————— में पूर्णतया संविदा के आधार पर अध्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति से व्याख्याता लौटने तक जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यापन कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अध्यापन व्यवस्था के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— निर्धारित योग्यताधारी है तथा इस हेतु मैने श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— द्वारा प्रस्तुत समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों, अंक तालिकाओं व अन्य आवश्यक अभिलेखों की जॉच कर ली है।

प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमितिकरण की मांग करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। प्रार्थी को आदेश जारी होने के सात दिवस में सम्बन्धित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें, जिसका दायित्व स्वयं प्रार्थी का होगा।

उक्त संविदा के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु प्राथी द्वारा 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस हेतु निर्धारित प्रपत्रों में संविदा पत्र दिनॉक ———————— को निष्पादित कर दिया गया है।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अध्ययधीन होगी।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,

क्रमांक दिनॉक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य।
3. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
4. लेखा शाखा।
5. रक्षित पत्रावली।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,

क्र.सं.	नाम याची	विषय	प्रस्तावित महा. जहां संविदा पर रखा जाना है	सम्भागीय महा. जहां याची को रिपोर्ट करनी है तथा जहां से नियुक्ति आदेश जारी होने है।
1.	श्री बसन्त लाल बामणिया, पुत्र श्री झालमा बामणिया, हिन्दोलिया, पो– भेमाई, तह– सागवाड़ा (डूँगरपुर)	चित्रकला	कोटा	कोटा
2.	डॉ. सरोज मीणा, 664, महावीर नगर, कोटा	समाज शास्त्र	कोटा कन्या	कोटा
3.	श्री राम प्रसाद, पुत्र श्री हरिराम, मु.पो. महावा, तह.–नीमकाथाना (सीकर)	इतिहास	बयाना कन्या	भरतपुर
4.	सुश्री सन्तोष गोमतीवाल, पुत्री श्री मगन लाल, 7/4, कम्यूनिटी हाल के पास P & T कालोनी,शास्त्री नगर, जोधपुर	राजनीति विज्ञान	करौली कन्या	भरतपुर
5.	श्री रामराज मीणा, पुत्र श्री श्रीलाल मीणा, सुजनपुरा, पो– सरकार. तिह– टोडाभीम (करौली)	भूगोल	नादोती	भरतपुर
6.	सुश्री शेरा बानू, पत्नी श्री अकली अहमद गौरी वृद्धा क्लिनिक के पीछे, बापू बस्ती, निम्बाहेड़ा (चितौड़गढ़)	राजनीति विज्ञान	जैसलमेर कन्या	पाली
7.	श्री गोविन्द मुरोटिया, पुत्र श्री राधेश्याम मुराटिया, पो' मालाजी की पण्डोली, चितौड़गढ़	समाज शास्त्र	बांसवाड़ा	उदयपुर
8.	श्री सोहन लाल मेघवाल, पुत्र श्री गोड़ू लाल मेघवाल, ग्राम– जावरकला, तह– रावतभाटा (चितौड़)	भूगोल	निम्बाहेड़ा	उदयपुर
9.	श्रीमती मीनाक्षी बोहरा, 12, इन्द्रा नगर (नार्थ), सुन्दरवास, प्रताप नगर, उदयपुर	इतिहास	राजसमन्द	उदयपुर
10.	डॉ. सोनू शर्मा, पत्नी श्री दीपक शर्मा, 65/25, न्यू कालोनी, रोड नं. 28, रामगंज, अजमेर	राजनीति विज्ञान	सागवाड़ा	उदयपुर
11.	सुश्री शालिनी सनाढ्य, पुत्री श्री महेन्द्र नारायण, हिरण मगरी, सैक्टर–14, उदयपुर	संगीत (कंठ)	उदयपुर कन्या	उदयपुर

क्र.सं.	नाम याची	विषय	प्रस्तावित महा. जहां संविदा पर रखा जाना है	सम्भागीय महा. जहां याची को रिपोर्ट करनी है तथा जहां से नियुक्ति आदेश जारी होने है।
12.	श्री संदीप कुमावत, पुत्र श्री घन्ना लाल, 7, देव सदन, अम्बेश्वरी नगर, नगरपालिका कालोनी, चित्तौड़गढ़	संस्कृत	डूँगरपुर	उदयपुर
13.	श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री रामगोपाल वर्मा, ग्राम पोस्ट-- गोवर्धनपुरा, राजगढ़ (अलवर)	समाज शास्त्र	डूँगरपुर	उदयपुर
14.	श्री राजेन्द्र कुमार भील, पुत्र श्री कल्लू लाल, ग्राम-- काटवी, पो-- कालरवास, तह-- खेरवाड़ा (उदयपुर)	लोक प्रशासन	डूँगरपुर	उदयपुर
15.	सुश्री भावना उपाध्याय, पुत्री श्री कैलाश भट्ट, 22, नाग मार्ग, भिण्डर हाउस के पास, चांदपोल के बाहर, उदयपुर	समाज शास्त्र	डूँगरपुर कन्या	उदयपुर
16.	सुश्री निधि पारीक, शर्मा डेयरी, शिव मन्दिर, गुलमण्डी, भीलवाड़ा	चित्रकला	नाथद्वारा	उदयपुर
17.	श्री राजेश कुमार चन्देल, पुत्र श्री गोवधन लाल चन्देल, ग्राम पोस्ट-- बागोर, तह-- माण्डल (भीलवाड़ा)	राजनीति विज्ञान	शाहपुरा (भील)	अजमेर

(एल.एल. बैरवा)
संयुक्त निदेशक

6